न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/207/2021

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2021/501

अपीलार्थी — **बनाम** — **प्रत्यर्थी**

श्री सन्तोष कुमार जैन (M.Com.,L.L.B.)
Retd. अति० प्रशासनिक अधिकारी (O.S.)
कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर
निवास–B-140, अशोक विहार, कर्मचारी कॉलोनी,
अलवर–301001 (राज.)

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 01.12.2021

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 03.01.2022

1. अपीलार्थी उपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांक: 23.07.2021 के माध्यम से प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)–302005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अपीलार्थी के बकाया दो प्रमोशन क्रमशः "प्रशासनिक अधिकारी" एवं "संस्थापन अधिकारी" के संबंध में दिनांक: 05.08.2020 से आवेदन दिनांक तक उनके कार्यालय एवं अन्य उच्चाधिकारियान को प्राप्त पत्रों पर की गई कार्यवाही के क्रम में 04 बिन्दुओं पर सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. वांछित सूचना नहीं मिलने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांक: 29.11.2021 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया।
5. प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं किन्तु पत्र सं. 2147 दिनांक: 06.12.2021 के माध्यम से जवाब नोटिस मय संलग्नक पेश किया गया। जवाब का विधिक परीक्षण किया गया।
6. अपीलार्थी का प्रश्नगत RTI आवेदन शासन संयुक्त सचिव एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी, राजस्व (ग्रुप–5) विभाग, राज. सरकार द्वारा संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, राज. सरकार को अन्तरित किया गया, तत्पश्चात् संयुक्त शासन सचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, राज. सरकार द्वारा **प्रत्यर्थी कार्यालय को RTI आवेदन दिनांक: 23.07.2021 के बिन्दु सं. 01 के संबंध में** जरिये पत्र सं. प018(21)राज–1/2021 जयपुर, दिनांक: 03.09.21 के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अन्तरित किया गया एवं **शेष बिन्दुओं (बिन्दु सं.2 लगायत 04 के क्रम में) पर राजस्व (ग्रुप–1) विभाग द्वारा उक्त पत्र के माध्यम से** विनिश्चय कर अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है।

(हस्ताक्षर)

जिला कलक्टर, अलवर

7. प्रत्यर्थी कार्यालय द्वारा संबंधित अनुभाग से सूचना प्राप्त कर RTI आवेदन के बिन्दु सं.01 के परिप्रेक्ष्य में सूचित किया जा चुका है जिसके अनुसार प्रश्नगत प्रमोशन संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण सूचना देय नहीं है।
8. अपीलार्थी द्वारा अपील में उठाये गये तथ्यों पर गौर/मनन किए जाने पर **अपीलार्थी की स्वयं के दो बकाया प्रमोशन्स को लेकर परिवेदना/समस्या/शिकायत परिलक्षित होती है** जिसका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के स्तर पर निस्तारण किया जाना संभव नहीं है। उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(9) के आलोक में विस्तृत व वृहद होने के कारण देय नहीं है।
9. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
10. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है।
11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
12. आज दिनांकः 03.01.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया। ।

(नन्नूमल पहाड़िया)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर

जिला कलक्टर